पारिवारिक न्यायालय, कुचामन, जिला डीडवाना–कुचामन।

पीठासीन अधिकारीः– कुसुम सुत्रकार, **आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रार्थना पत्र सं. (एच.एम. एक्ट):– **144/2025**

CIS NO:- **144/2025**

1 श्रीमती सोनू पत्नी मुकेश, पुत्री नारायणराम, निवासी सुन्दरियों की ढाणी, लिचाणा तहसील नावां शहर हाल निवासी जसराणा तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना कुचामन राजस्थान।

2 मुकेश पुत्र प्रभुराम, निवासी सुन्दरियों की ढाणी, लिचाणा तहसील नावां शहर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।

––प्रार्थीगण

बनाम

निल

::–उपस्थितः–

1. प्रार्थी संख्या–1 की ओर से	–	अधिवक्ता श्री विनोद सिंह राठौड़
2. प्रार्थी संख्या–2 की ओर से	–	अधिवक्ता श्री विजेन्द्र बुगालिया।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13–बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

दिनांक :29–07–2026

–:: आदेश ::–

1 इस आदेश के जरिये प्रार्थीगण श्रीमती सोनू व मुकेश की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 13–बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का निस्तारण किया जा रहा है।

2 प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थीगण का विवाह हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक **14.11.2021** को ग्राम जसराणा तहसील कुचामन में सप्तपदी के अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात् प्रार्थीगण के बीच वैचारिक मतभेद होने के कारण प्रार्थीगण का पति–पत्नी के रूप में साथ रहना असम्भव होने के कारण प्रार्थीगण **सितंबर 2024** से पृथक–पृथक निवास कर रहे है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे यह वर्णित किया है कि प्रार्थी संख्या–1 श्रीमती सोनू ने भरण पोषण की सम्पूर्ण राशि व स्त्रीधन प्रार्थी संख्या–2 मुकेश से प्राप्त कर लिया है। भरण–पोषण व स्त्रीधन को लेकर पक्षकारों के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेदित करने का निवेदन किया है।

3 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान के मध्य समझाईश के प्रयास किये गये।

4 साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थीगण की ओर से गवाह ए.ड.–1 श्रीमती सोनू व ए.ड.–2 मुकेश को पेश कर परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में श्रीमती सोनू का असल आधार कार्ड प्रदर्श–1, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–1ए, शादी का कार्ड प्रदर्श–2, शादी के कार्ड की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03, विवाह विच्छेद की लिखा–पढ़ी प्रदर्श–04, मुकेश का असल आधार कार्ड प्रदर्श–5, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–5ए, दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।

5 बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से तर्क रहा है कि प्रार्थीगण का एक साथ पति–पत्नी के रूप में साथ रहना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जावें।

6 न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न है कि :–

> **"आया प्रार्थीगण दिनांक 14.11.2021 को उनके विवाह के सम्पन्न होने के पश्चात सितंबर 2024 से अलग–अलग रह रहे है। वे एक साथ नहीं रह सकते हैं तथा दोनों इस बात के लिए सहमत हो गये हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिए?"**

7 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण का विवाह दिनांक **14.11.2021** को ग्राम जसराणा तहसील कुचामन सिटी में सप्तपदी के अनुसार सम्पन्न हुआ। मौखिक साक्ष्य में भी गवाह ए.ड.–1 श्रीमती सोनू व ए.ड.–2 मुकेश ने उनका विवाह दिनांक **14.11.2021** को सम्पन्न होना बताते हुए, दस्तावेजी साक्ष्य में श्रीमती सोनू का असल आधार कार्ड प्रदर्श–1, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–1ए, शादी का कार्ड प्रदर्श–2, शादी के कार्ड की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03, विवाह विच्छेद की लिखा–पढ़ी प्रदर्श–04, मुकेश का असल आधार कार्ड प्रदर्श–5, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–5ए, दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया है। अतः उक्त तथ्यों एवं साक्ष्य के अनुसार प्रार्थीगण का पति–पत्नी होकर उनका विवाह दिनांक **14.11.2021** को होने का तथ्य साबित पाया जाता है।

8 मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.ड.–1 श्रीमती सोनू व ए.ड.–2 मुकेश ने **सितंबर 2024 से** वैचारिक मतभेद होने से अलग–अलग रहना बताया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र के तथ्यों का समर्थन मौखिक साक्ष्य से होता है।

9 पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि **दोनों प्रार्थीगण एक साथ नहीं रह सकते हैं** तथा इस बात के लिए सहमत हो गये हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिए। इस संबंध में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण का और अधिक समय तक पति–पत्नी के संबंध को बनाये रखना संभव नहीं है। प्रार्थीगण **सितंबर 2024 से** अलग–अलग रह रहे हैं। मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.ड.–1 श्रीमती सोनू,

गवाह ए.ड.–2 मुकेश ने दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद होना बताया है। दोनों के मध्य कोई लेन–देन शेष नहीं होना बताया है। साथ ही गवाहान ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया है कि वैचारिक मतभेद के कारण साथ रहना संभव नहीं है, जिससे प्रकट है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते है

10 मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.ड.–1 श्रीमती सोनू व ए.ड.–2 मुकेश के कथनों से स्पष्ट है कि उनके मध्य कोई दुरभिःसंधि नहीं है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के अनुसार दोनों के मध्य दुरभिःसंधि नहीं होना प्रकट होता है। अतः उपरोक्त निष्कर्षानुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत याचिका अंतर्गत धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:–आदेशः–

11 अतः प्रार्थीगण की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत याचिका अंतर्गत धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 पारस्परिक सहमति के आधार पर स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि श्रीमती सोनू पत्नी मुकेश, पुत्री नारायणराम, निवासी सुन्दरियों की ढाणी, लिचाणा तहसील नावां शहर हाल निवासी जसराणा तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना कुचामन राजस्थान, मुकेश पुत्र प्रभुराम, निवासी सुन्दरियों की ढाणी, लिचाणा तहसील नावां शहर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान के मध्य सम्पन्न हुए विवाह दिनांक **14.11.2021** को आज दिनांक 29–07–2026 से विघटित किया जाता है। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

12 हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 23(4) के तहत आदेश की प्रति दोनों प्रार्थीगण को नि :शुल्क दी जावे।

(कुसुम सुत्रकार)
न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
कुचामन, जिला–डीडवाना–कुचामन।

13 निर्णय आज दिनांक 29–07–2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(कुसुम सुत्रकार)
न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
कुचामन, जिला–डीडवाना–कुचामन।